गुजरात में कानून शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को लॉ टीचिंग डिप्लोमा की जरूरत

गुजरात सरकार ने जीएनएलयू को बनाया है गुजरात लीगल एजूकेशन प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी

अहमदाबाद. गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (जीएनएलयू) के निदेशक डॉ. शांताकुमार ने कहा कि गुजरात में कानून की शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए लॉ टीचिंग डिप्लोमा शुरू करने की जरूरत है। ताकि एलएलबी, एलएलएम की शिक्षा प्राप्त करने के बाद युवाओं को लॉ टीचिंग के लिए प्रेरित किया जा सके। इतना ही नहीं जिस प्रकार से स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों का विशेष बीएड कोर्स हैं उसी प्रकार से लॉ के व्याख्याता बनाने के लिए भी लॉ टीचिंग कोर्स की जरूरत है। जिसमें उन्हें लॉ को बेहतर तरीके से पढ़ाने के गुर सिखाए जाएंगे।

शांता कुमार ने यह बात हाल ही में गुजरात लॉ डीन फोरम की बैठक में कही। गुजरात सरकार की ओर से गुजरात में कानून की शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए गुजरात लीगल एजूकेशन प्रोजेक्ट तैयार किया है। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (जीएनएलयू) को इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी बनाया है। इसके तहत राज्य की 20 लॉ टीचिंग यूनिवर्सिटी एवं इंस्टीट्यूटशन के डीन का एक गुजरात लॉ डीन फोरम (जीएलडीएफ) भी बनाया गया है। जीएनएलयू में हुई इस फोरम की पहली बैठक में 20 संस्थाओं के डीन ने शिरकत की। इसके अलावा गुजरात में सबसे कम संख्या में युवा विद्यार्थी क्लेट में शिरकत करते हैं। युवाओं को कानून की शिक्षा और कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लेट) के बारे में जागरुक करने की दिशा में भी कदम उठाने पर चर्चा हुई।

पत्रिका Thu, 24 October 2019
epaper.patrika.com/c/45011778